बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email: shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मृणायक दास

पत्रांक 47

दिनांक 8-10-2017

दिनांक– 08.10.2017 को केन्द्रीय कार्यकरणी की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थितिः– पंजी के अनुसार

बैठक में सर्वप्रथम धान अधिप्राप्ति संबंधी मामले पर चर्चा की गई। सदस्यों द्वारा बताया गया कि :–

i. वर्ष 2011–12 में सरकार द्वारा **BSFC Ltd.** को धान अधिप्राप्ति हेतु पहली बार नोडल एजेंसी बनाया गया तथा राज्य में धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 लाख मेट्रिक टन निर्धारित किया गया, जबकि वर्ष 2010–11 में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य मात्र 10.5 मेट्रिक टन निर्धारित था।

ii. यद्यपि लक्ष्य निर्धारण के पूर्व मानव संसाधनों एवं संस्थागत ढाँचे की उपलब्धता एवं पूर्व की अधिप्राप्ति आंकड़ों को दृष्टिपथ नहीं रखा गया, फिर भी राज्य सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए संघ के पदाधिकारियों द्वारा पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ धान अधिप्राप्ति अभियान में अपना शत–प्रतिशत सहयोग दिया गया तथा सरकार द्वारा दिये गये निदेशों का अक्षरशः पालन किया गया।

iii. धान की अधिप्राप्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निरूपित किये गए तथा अधिप्राप्ति कार्य का पर्यवेक्षण राज्य सरकार के उच्चतम स्तर से निरंतर किया गया था। **साथ ही इस अवधि में राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति की नीति को भी बदला गया तथा मिलरों द्वारा आपूर्त की गयी चावल के बदले धान उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया को बदलकर मिलरों को अग्रिम धान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लागू की गयी।** यह भी उल्लेखनीय है कि धान अधिप्राप्ति

के इन वर्षों के कटू अनुभव के उपरांत वर्तमान में पुनः पुरानी नीति को लागू किया गया है।

iv. उक्त निदेशों के तहत जिला स्तर पर धान की अधिप्राप्ति की सम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला पदाधिकारी को सौंपी गई थी तथा जिलों के प्रभारी सचिव/प्रधान सचिव एवं प्रमंडलीय आयुक्त को साप्ताहिक पर्यवेक्षण एवं प्रतिवेदन देने का कार्य निरूपित किया गया था। साथ ही धान अधिप्राप्ति कार्य की नीति का निर्धारण एवं संचालन राज्य के उच्चतम स्तर से साप्ताहिक विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा था।

v. संघ के पदाधिकारियों द्वारा अपने वरीय एवं नियंत्री पदाधिकारियों के समय–समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन पूरी तत्परता एवं निष्ठा के साथ किया गया, जिसके कारण धान अधिप्राप्ति अभियान को सफलता भी मिली। अभियान के दौरान संघ के पदाधिकारियों द्वारा सभी कार्य सद्भाव (Good faith) एवं निष्कपट मंशा (Bonafide intention) से किये गये थे तथा इसमें किसी का कोई निहित स्वार्थ (Vested interest) या दूर्भावनापूर्ण मंशा (Malafide intention) नहीं थी।

vi. सरकार द्वारा निरूपित प्रक्रिया के तहत धान अधिप्राप्ति के उपरांत अनेक मिलरों द्वारा अनुपातिक सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने में विफल होने की स्थिति में संघ के ही पदाधिकारियों की पहल पर इनपर वैधिक कार्यवाही आरंभ की गयी तथा काफी बड़ी मात्रा में वसूली भी की जा सकी।

vii. प्रमादी मिलरों द्वारा उनके विरूद्ध की जा रही दंडात्मक कार्रवाई को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में चुनौती दी गई तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रमादी मिलरों को दी गई राहत को **BSFC** द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई।

viii. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रमादी मिलरों के विरूद्ध विचारण हेतु पांच विशेष न्यायालय तथा जांच कार्य को तीन माह में पूर्ण करने के लिए **SIT** गठित की गई।

ix. **SIT** द्वारा पांच माह से अधिक की अवधि बीत जाने के बाद भी प्रमादी मिलरों के विरूद्ध नगण्य कार्यवाही की गई है, परन्तु इस अवधि में जिला एवं क्षेत्रीय स्तर पर अभियान के दौरान सरकार के द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में इस वृहत कार्य को सम्पादित करने वाले पदाधिकारियों द्वारा कार्य की अधिकता एवं समय की कमी के कारण हुई लिपिकीय एवं प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ, जिसे अधिक से अधिक प्रशासनिक चूक की श्रेणी में रखा जा सकता है, को आपराधिक कृत्य बताकर संघ के पदाधिकारियों को

प्राथमिकी/अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर प्रताड़ित किया जा रहा है तथा मूल अभियुक्त प्रमादी मिलरों को बचाने की सोची–समझी साजिश रची जा रही है।

x. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रमादी मिलरों द्वारा प्राप्त किए गए धान की मात्रा को किसी भी स्तर पर चुनौती नहीं दी गई है बल्कि उनके द्वारा सी0एम0आर0 उपलब्ध कराने हेतु समय की मांग की जाती रही है।

xi. किसी भी कार्य में त्रुटि के लिए उस कार्य में लगे सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी दोषी हो ऐसा कोई उदाहरण संज्ञान में नहीं आया है। अगर सरकार को यह लगता है कि त्रुटि के लिए उस कार्य में सभी पदाधिकारी और कर्मचारी दोषी है तो संघ यह कहना चाहेंगा कि उस कार्य के सिस्टम में कहीं न कहीं दोष है।

उपरोक्त संदर्भ में सदस्यों द्वारा पत्रांक 9159, दिनांक– 04.12.2011, पत्रांक 9404, दिनांक– 08.12.2012 एवं पत्रांक 7714, दिनांक– 06.12.2013 उपलब्ध कराया गया।

विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संघ (i) वर्णित प्रावधानों के अनुपालन में संघ के सदस्यों पर हो रही कार्रवाई के संदर्भ में वास्तविकता से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। (ii) संघ माननीय उच्च न्यायालय में भी विषय वस्तु की वास्तविकता रखेगा।

2. विधिक कार्य हेतु पूर्व में प्रति सदस्य 2,000/– रूपया सहयोग राशि निर्धारित किया गया था जिसे संशोधित कर यह राशि न्यूनतम 2,000/– रूपया प्रति सदस्य रखा गया।

3. गृह विभाग का पत्रांक 6211, दिनांक– 09.06.2008 एवं पत्रांक 6818, दिनांक– 23.08.2017 में स्पष्ट निदेश है कि **"किसी विभाग अथवा संगठन से संबंधित किसी पदाधिकारी/कर्मी के द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है, जिसमें विभाग/संगठन/सरकार को क्षति हुई है, तब ऐसी परिस्थिति में संबंधित विभाग/संगठन के प्रधान के परामर्श से ही आपराधिक मामला दर्ज करेगा। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह जानना भी आवश्यक होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी/कर्मी का दोष प्रशासनिक नियमों की अवहेलना का है अथवा आपराधिक प्रवृति का है। यदि प्रशासनिक लापरवाही अथवा गलतियॉ हुई हैं तो विभागीय कार्रवाई पर्याप्त हो सकती है। प्राथमिकी दर्ज करने के समय यह अवश्य सुनिश्चित होना होगा कि दुराशय/अपराध भावना (Mens rea) भी सरकारी कर्मी**

के व्यवहार/आचरण (Conduct) में निहित था। यह ध्यान में रखना चाहिये कि Not all losses are criminal losses." इस निदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। वर्त्तमान मामलें में SIT द्वारा भी इस निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस पत्र का अनुपालन कराने हेतु संघ गृह विभाग से अनुरोध करेगा।

4. दिनांक–21.06.2017 को डा0 मुन्नी दास, 35वीं बैंच (कोटि क्रमांक– 553/11), सम्प्रति– डी0पी0ओ0, सहरसा का बीमारी के कारण आकास्मिक मृत्यु होने पर दुख व्यक्त किया गया तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 02 मिनट को मौन रखा गया।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– केन्द्रीय कार्यकारणी के सभी सदस्य/सभी विशेष आमंत्रित सदस्य/सभी आमंत्रित सदस्य/अध्यक्ष/सचिव/सभी जिला इकाई को सूचनार्थ प्रेषित।

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव